राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 161वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 14.05.2024 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 161 वीं बैठक श्री लाल सिंह, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री मोहन लाल यादव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, श्री नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, डॉ. राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री हर्षदकुमार टी. सोलंकी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री सी. पी. मंडावरिया, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं. वि.) विभाग, राजस्थान सरकार, श्री अनुज अवस्थी, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 161वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने श्री लाल सिंह, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा का उनकी प्रथम एसएलबीसी बैठक के लिए अभिनंदन किया।

उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- **Annual Credit Plan 2024-25**: जैसा की विदित है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के ACP Target रु 2.80 लाख करोड़ था जिसके सापेक्ष ACP Achievement रु 3.08 लाख करोड़ (110%) रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड द्वारा रु 3.62 लाख करोड़ का पीएलपी प्रॉजेक्शन दिया गया है। इसके आधार पर वित्तीय साख योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु डीसीसी द्वारा रु 3.60 लाख करोड़ का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से 17% अधिक है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक साख योजना के Sector wise एवं कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- **R-SETIs & FLCs in new districts:** वित्तीय साक्षारता एवं कौशल-विकास भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों मे से हैं। राज्य में इन उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में यह आवश्यक है कि नव-गठित जिलों के लीड बैंक अपने जिलों में आर-सेटी एवं FLC स्थापित करने एवं उनका कुशल संचालन प्रारम्भ करने का कार्य जल्द-से-जल्द पूर्ण करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे EDDPE के तहत प्रत्येक पात्र बचत और चालू खाते में कम से कम 1 डिजिटल उत्पाद प्रदान करते हुए राजस्थान को जल्द-से-जल्द 100% डिजिटल राज्य बनाएँ।
- Mule Accounts के संबंध में सचेत करते हुए सलाह दी कि सभी बैंक इन खातों का पता लगाने और उन्हें बंद करने के लिए सशक्त सुरक्षा उपायों एवं प्रणाली को अपनाते हुए त्वरित कार्यवाही करें।
- बैंकों से अनुरोध है कि वे unauthorized और fraudulent लेनदेन संबंधी शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने और Law Enforcement Agencies को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए 24/7 नोडल अधिकारी नियुक्त करें, एवं इनकी संपर्क सूचना public platform पर उपलब्ध कराएं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य में PMEGP के तहत 213.64% उपलब्धि रही, जो सराहनीय है। किन्तु PMMY योजना के तहत 96% एवं APY के तहत 98% उपलब्धि रही, बहुत कम मार्जिन से शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध नहीं पाये। उन्होने सभी बैंकों से इस वित्तीय वर्ष और अधिक प्रयास करते हुए इन दोनों योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया। साथ ही सभी बैंकों से PMMY के तहत शिशु श्रेणी में ऋण वितरण पर और अधिक ध्यान देने एवं APY के तहत विशेषकर निजी बैंकों से अपना प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

आगे उन्होने **नवीनतम घटनाक्रमों** पर प्रकाश डालते हुए निम्नानुसार सूचित किया-

- **Brick & Mortar Branches:** DFS के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में Brick and Mortar Branch खोलने के लिए चिन्हित की गयी 108 Locations में से 103 Locations पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं या फिर आवंटन के बाद खोल दी गयी हैं। संबन्धित बैंकों से अनुरोध करता हूं कि वे बची हुई 5 Locations पर जल्द से जल्द Branch खोलें।
- भारत सरकार द्वारा 04 मार्च, 2024 को ई-किसान उपज निधि (e-KUN) को launch किया गया है, जिसे जनसमर्थ पोर्टल पर onboard किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों के आवेदनों के निस्तारण का turn-around time कम कर, किसानों को परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करना है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र किसानों को ऋण प्रदान करते हुए योजना का राज्य में सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के तहत Key Performance Financial Inclusion Indicators यथा **PMJDY, PMJJBY एवं PMSBY** के तहत देश भर में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 100 blocks को राज्य/राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुंचाने हेतु identify किया गया है। राजस्थान में **भरतपुर, डूंगरपुर व पाली जिले के 3 ब्लॉक (वैर, झोथरी व रानी स्टेशन)** को चयनित किया गया है। इन जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यक्रम के तहत बैंकों को लक्ष्य आवंटित करें एवं बैंकों से अनुरोध है कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों के PMJDY खाते खोल कर, उन्हे PMJJBY एवं PMSBY में Enrol करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, भरतपुर, डूंगरपुर एवं पाली)

उन्होने राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business रु 13.45 लाख करोड़ पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में 11.30% की Y-o-Y Growth की है और Advances में 19.50% की Y-o-Y Growth की है।
- राज्य का CD Ratio मार्च, 2024 तक 94.61% है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। Advances to Priority Sector ने 17.58% की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में 12.92% की Y-o-Y Growth हुई है एवं MSME Advances में 23.25% की Y-o-Y Growth हुई है।
- Financial Year 2023-24 में **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **110.08%** है। ACP के तहत **MSME** में **151.86%**, **Agriculture** में **94.52%** और Other Priority Sector में **40.29%** उपलब्धि है। जो बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक साख योजना के तहत क्षेत्रवार अथवा कुल लक्ष्य उपलब्ध नहीं कर पाये हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उचित कार्ययोजना बनाते हुए वार्षिक साख योजना के आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

उन्होने सभी बैंकों से निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया:

- KCC Saturation Drive में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
- बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY account खोलना और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY) से भी लाभान्वित करना।
- PMJDY खातों में Rupay card issuance और activation तथा आधार seeding करना।
- कृषि क्षेत्र में Investment Credit में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों में समय पर ऋण वितरित कराना।
- 'Digital एवं Financial Literacy का प्रचार-प्रसार।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार** को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- बैंकिंग क्षेत्र का आम आदमी का जीवन स्तर, उद्यमिता, राज्य की विकास दर और GDP बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही औद्योगीकरण, पर्यटन, रियल एस्टेट के विकास, आवासीय ऋण एवं शिक्षा ऋण के माध्यम से लोगों लाभ बैंकों द्वारा किया गया है जो सराहनीय है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कई राज्यों के सापेक्ष अधिक है।
- IMSUPY के तहत ऋण आवेदन बहुत अधिक समय तक लंबित रहते हैं एवं उसके बाद अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 25 व 30% की subsidy बैंक को दी जाती है। राज्य में IMSUPY के तहत गत वर्ष अस्वीकृति दर लगभग 14% रही है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत सकारात्मक दृष्टिकोण से ऋण आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। किसी भी समस्या के निस्तारण हेतु विभाग से संपर्क करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- बैंकों की राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- केसीसी योजना (कृषि एवं एलाइड क्षेत्र) का राज्य में प्रभावी और सकारात्मक रूप से क्रियान्वयन करें।
- PMFBY केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। किसानों की आर्थिक संबलता में वृद्धि करने हेतु बैंकर्स और बीमा कंपनी आपस में संयोजन करते हुए अधिक से अधिक किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित करें।
- PMFME योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में प्रदर्शन असंतोषजनक है। एसएलबीसी की उपसमिति (कृषि संबन्धित योजनाएँ) की बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंकों से इस योजना में प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध किया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष योजना के तहत लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित करें।
- केंद्रीय एवं राज्य सरकार की सभी फ़्लैगशिप योजनाओं के तहत सक्रियता से कार्य करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- एसएलबीसी की 161वीं बैठक मार्च तिमाही के समाप्त होने के 45 दिनों में आयोजित की गयी है जो सराहनीय है।
- सभी नए जिलों में अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की नियुक्ति कर ली गयी है जिसके लिए डीसीसी संयोजक बैंक बधाई के पात्र हैं। संबन्धित डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द नए जिलों में वित्तीय साक्षारता केन्द्र स्थापित कर उनमे वित्तीय साक्षारता सलाहकारों की नियुक्ति करें ताकि वित्तीय साक्षारता एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों को और गति मिल सके।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों में पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष वृद्धि हुई है पर यह लक्ष्य राज्य में उपलब्ध ऋण संभावनाओं के सापेक्ष कम प्रतीत होते हैं। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य निर्धारित करते समय गत वित्तीय वर्ष की बैंक-वार एवं ज़िला-वार उपलब्धि पर ही निर्भर ना करें। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य राज्य/District की credit potential and credit appetite of Banks/FIs के अनुरूप होनी चाहिए। राजस्थान में निजी बैंकों के ऋण ग्राहकों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण ग्राहकों की संख्या से काफी अधिक है एवं NBFCs के ऋण ग्राहकों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण ग्राहकों की संख्या की लगभग 2/3 है। बैंकों से अनुरोध है कि राज्य में उपलब्ध क्रेडिट संभावनाओं को अधिक से अधिक प्रयास कर capture करें।
- बैंकों ने Deposit में 11.30% की Y-o-Y Growth की है और Advances में 19.50% की Y-o-Y Growth की है। साथ ही CD ratio 94.61% है। इससे पता चलता है कि राज्य में deposit बढ़ाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं एवं हमारे deposit mobilization के प्रयास क्रेडिट वृद्धि की गति के अनुरूप नहीं हैं। राज्य में क्रेडिट, cash-flow के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए deposit mobilization अति-आवश्यक है।
- राज्य के जिलों के District Domestic Product (DDP) की deposit mobilization से तुलना करने पर पता चलता है कि-
    - कुछ जिलों में deposit mobilization सराहनीय है, उदाहरणतः, जयपुर ज़िले में deposit mobilization, आय का लगभग 2.25 गुना है।
    - कुछ पिछड़े ज़िले हैं जहां deposit mobilization आय का 0.36 गुना ही है।
- बैंकों से अनुरोध है कि राज्य में बैंक शाखाओं और बैंक मित्रों की presence एवं उनके माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम (optimum) deployment किए जाने की रणनीति का विश्लेषण करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि बैंक

मित्रों को linked बैंक शाखा से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो तथा उनकी service deficiency एवं ऋण प्रदान करने हेतु संभावित लाभार्थियों को पहचानने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

- राज्य 100% digitization के लक्ष्य के बहुत समीप है। बैंकों से अनुरोध है कि एसएलबीसी को daily reporting formats के माध्यम से EDDPE के तहत प्रगति से अवगत कराएं एवं mission-mode में कार्य करते हुए जून, 2024 के अंत तक राज्य को 100% डिजिटल राज्य बनाना सुनिश्चित करें।
- राजस्थान वित्तीय धोखा-धड़ी के मामलों में देशभर में सबसे आगे है। बैंकों से अनुरोध है कि बैंक शाखाओं में कार्यरत स्टाफ एवं बैंक मित्रों के माध्यम से बैंक ग्राहकों में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षारता और जागरूकता को बढ़ाएँ। धोखा-धड़ी करने वालों द्वारा बैंकों के KYC-AML संबंधी प्रणाली को exploit किया जा रहा है जो चिंता का विषय है। बैंकों को एक रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें एसएलबीसी यह निगरानी कर सके कि बैंक किसी विशेष क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों की स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- राज्य के सभी खंडों को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, NGOs एवं प्रायोजक बैंकों के संयुक्त प्रयासों से CFLs से कवर कर दिया गया है।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक साख योजना के तहत उपलब्धि 110% रही है जिसके लिए सभी बैंकों और अन्य हितग्राहकों को बधाई। एमएसएमई के तहत 154% की उपलब्धि सराहनीय है। किन्तु कृषि ऋण में उपलब्धि 96% एवं Y-O-Y वृद्धि 6% रही तथा OPS में उपलब्धि 40% रही जो असंतोषजनक है। साथ ही वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष कृषि एवं OPS में उपलब्धि और कम है।
- प्रदेश में जीएलसी के क्षेत्रवार विश्लेषण पर पता चलता है कि बैंकों द्वारा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए वितरित ऋण पिछले वर्ष की तुलना में घटकर आधा रह गया है । अन्य प्राथमिकता क्षेत्र सीधे ग्राहकों से जुड़ा है और इस क्षेत्र के लिया दिया गया ऋण आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है । अगर बैंकिंग सैक्टर इनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो अनौपचारिक वित्तीय संस्थान इन्हें ऋण देंगे । बैंकों को इस क्षेत्र को उपयुक्त ऋण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे ।
- दक्षिण भारत के 5 पांच दक्षिणी राज्यों -आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कृषि ऋण प्रवाह कुल ऋण वितरण का 48% रहा, जबकि इस क्षेत्र का Gross Cropped Area (GCA) 17% है। वहीं उत्तर भारत के 5 राज्यों - राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 20% GCA के सापेक्ष कृषि और allied क्षेत्रों को कुल ऋण प्रवाह का लगभग 17% कृषि ऋण प्रवाह प्राप्त हुआ। राजस्थान में 13% जीसीए के सापेक्ष कुल ऋण प्रवाह का लगभग 5.8% कृषि ऋण प्रवाह ही प्राप्त हुआ। अतः राजस्थान में कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ाने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। कृषि ऋण की इस क्षेत्रीय विकृति को दूर करने की आवश्यकता है ।
- हमें हमारे राज्य की फसलों की विविधता के साथ साथ कृषि की सीमाओं जैसे कि रेगिस्तान, सिंचाई के सीमित संसाधन इत्यादि को देखते हुए सिंचाई के साधनों को बेहतर करते हुए नियंत्रित खेती की ओर बढ़ने कि जरूरत है ।
- Other Priority Sector (OPS) के तहत राज्य में बैंकों का प्रदर्शन चिंतनीय है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में OPS के तहत उपलब्धि आधी हो गयी है। मुख्यधारा बैंक इस क्षेत्र में NBFCs से पिछड़ रहे हैं। बैंकों से अनुरोध है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को diversify करते हुए OPS के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करें।
- राज्य में कृषि निवेश ऋण के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30.28% की उपलब्धि रही है। सभी बैंक अधिक से अधिक कृषि निवेश ऋण प्रदान करते हुए जल्द-से-जल्द इसका स्तर 40% तक ले जाएँ। कृषि निवेश ऋण के तहत ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों का कुल योगदान 1% से भी कम है। अतः ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक कृषि निवेश ऋण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देवें।
- **CD Ratio:**
  - सिरोही का CD ratio 50% से कम है जो चिंतनीय है।
  - ग्रामीण बैंकों को अपना CD ratio राज्य औसत के स्तर तक सुधारने का अनुरोध है।
- नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त 62 CFL की सूची में से 52 CFL स्वीकृत कर दिये हैं। प्रयोजक बैंकों से अनुरोध है कि CFLs हेतु मूलभूत अवसंरचना खरीद कर नाबार्ड को इसका प्रस्ताव भेजें एवं CAPEX का उपयोग करके OPEX के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।

- NBFC और स्माल फ़ाइनेंस बैंक वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष बहुत अधिक JLG गठित की जा रही हैं। ग्रामीण बैंकों द्वारा गत वित्तीय वर्ष में गठित JLGs में 12 गुना वृद्धि हुई है। JLG गठन में सार्वजनिक बैंकों एवं निजी बैंकों का योजदान असराहनीय है। राज्य में JLG संबंधी कुल व्यवसाय लगभग रु 4500 करोड़ है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक JLG गठित कर उन्हे वित्तपोषित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- यह देखा गया है कि कृषि ऋणों में turnaround time आम तौर पर अधिक होता है और एक बैंकर कृषि ऋण, विशेष रूप से कृषि सावधि ऋण के वित्तपोषण में सुविधाजनक महसूस नहीं करता है। उसी बैंकर को कार या मोटरसाइकिल ऋण या किसी उपभोक्ता ऋण के वित्तपोषण में कोई समस्या नहीं आती है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जाए और बैंकर्स को ऑनलाइन lien marking की सुविधा प्रदान की जाए। हमें कृषि वित्तपोषण से संबंधित समस्याओं का पता लगाना होगा और कृषि ऋण के लिए सक्षम वातावरण बनाने के उपाय खोजने होंगे।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- वार्षिक साख योजना 2024-25 के लक्ष्य नाबार्ड के PLP से संरेखित हैं। पर कृषि क्षेत्र के तहत लक्ष्य PLP द्वारा अनुमानित क्रेडिट के 87% है। साथ ही एसएलबीसी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि के तहत एसीपी लक्ष्य भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए कृषि लक्ष्य से भी कम प्रस्तावित हैं (रु. 1.87 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले रु. 1.65 लाख करोड़ रुपये)। एसएलबीसी को क्षेत्रवार लक्ष्यों पर फिर से विचार करने की सलाह है।
- नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन निधि के तहत अच्छी मंजूरी के बावजूद, बैंकों द्वारा उपभोग बहुत कम किया जा रहा है। बैंकों से वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को सही भावना से लागू करने का अनुरोध है।
- इस वर्ष प्रदेश में 05 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का शुभारंभ किया जा रहा है। ये नए कार्यालय चुरू, धोलपुर, डुंगरपुर, कोटपुतली-बहरोड़ एवं जालोर जिलों में खोले जा रहे हैं।
- पिछले वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को RIDF और micro-irrigation fund के तहत अनुदान रु. 20,000 करोड़ से surpaas किया है। साथ ही राज्य सरकार से मिलकर कई विकासात्मक पहलें की हैं। पिछले वर्ष कौशल विकास, Rural Youth के रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में नाबार्ड ने सराहनीय कार्य किया है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- **NZC Issue-**
  - वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित बैंक शाखा-रहित केन्द्रों में से राज्य के 5 केन्द्रों में अभी तक ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएँ नहीं खोली गयी हैं। संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि आवंटित केन्द्रों पर अतिशीघ्र ब्रिक एंड मोर्टार शाखा खोलने का कार्य पूर्ण करें।

    (कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)
  - वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा राज्य में बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु चिन्हित 28 ग्रामों मे से 22 ग्रामों में बैंकिंग आउटलेट खोलना लंबित है। संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि आवंटित केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट खोलने की कार्यवाही जल्द-से-जल्द पूरी करें।

    (कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)
- केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य में ज़िला-वार विश्लेषण कर यह देखें कि किन क्षेत्रों में और प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ योजनाओं के तहत लक्ष्य बैंकों को आवंटित हो गए हैं पर कई जिलों में 1 भी ऋण आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि ऐसे क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुखों, शाखा प्रबन्धकों एवं बैंक मित्रों को sensitize करें एवं राज्य के प्रत्येक जिले और ग्राम तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएँ।
- राज्य में कई नए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा खोलने की आवश्यकता है। आरएमजीबी ने कई नए संभावना-युक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा खोलने की ज़िम्मेदारी उठाई है। इस दिशा में बीआरकेजीबी को भी अधिक सक्रियता से कार्यवाही करने का अनुरोध है।
- सभी बैंकों, विशेषकर ग्रामीण बैंकों (आरएमजीबी एवं बीआरकेजीबी) से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं दूर-दराज स्थित बैंक शाखाओं में पर्याप्त नई भर्ती एवं सक्षम स्टाफ पदस्थापित करें।

- बैंक मित्रों की गतिविधियों का कड़ा निरीक्षण किया जाना चाहिए। बैंकों से अनुरोध है कि असक्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय करें।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है जिसके कारण राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा में देशभर में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य के सभी वंचित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में NBFC, आसान नियम और शर्तों के कारण ग्रामीण बैंकों से आगे हैं। ग्रामीण और वाणिज्यिक बैंकों से अनुरोध है कि ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें एवं ऋण का भुगतान नहीं होने के प्रकरणों को मानवीय दृष्टिकोण के साथ handle करें।
- केंद्रीय एवं राज्य सरकार की जो योजनाएँ उद्यमशीलता (entrepreneurship) बढ़ाने और बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी हैं, उनपर अधिक ध्यान देवें क्योंकि ऐसी योजनाओं के तहत राजस्थान अधिकतम राज्यों से पीछे है। सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाले ऋण आवेदनों का समय से निस्तारण करें एवं बिना उचित कारण के आवेदनों को अस्वीकार नहीं करें। बैंकों से अनुरोध है कि उनकी जिन शाखाओं द्वारा उक्त योजनाओं में संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा है, उस शाखाओं पर विशेष निगरानी रखे।
- राज्य में वित्तीय धोखा-धड़ी के मामले बढ़ गए हैं। बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय एवं डिजिटल साक्षारता को बढ़ावा दें एवं बैंक शाखा में कार्यरत स्टाफ को नई तकनीकों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सभी ज़िला कलक्टरों को राको-रोडा एवं सरफेसी के तहत नए cases स्वीकृत करने और मौजूदा cases में त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में उत्तर राजस्थान में अच्छा काम हुआ है। साथ ही PDR Act में लंबित संशोधन के संबंध में राजस्व विभाग से निरंतर अनुरोध किया जा रहा है।
- ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) पर देय शुल्क को माफ करने के संबंध में विभाग द्वारा 2-3 बार विचार करने के बाद मना कर दिया गया है। पुनः उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर इस मामले में कार्यवाही की जाएगी।

इसके पश्चात **प्रतिनिधि, ट्रांसयूनियन सिबिल कंपनी,** जो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत credit bereau है, ने सदन के समक्ष Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिनमे निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में अवगत कराया-

- CIBIL के तहत राजस्थान का पोर्टफोलियो
- राजस्थान की 5 उच्चतम प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं सम्पूर्ण राष्ट्र के औसतन प्रदर्शन के साथ तुलना।
- कृषि, माइक्रो फ़ाइनेंस एवं एमएसएमई अग्रिम का पोर्टफोलियो एवं वाणिज्यिक बैंकों तथा NBFCs के प्रदर्शन की तुलना।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 160th SLBC Meeting (19.02.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 19.02.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28.02.2024 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति निम्नानुसार है-

Parameters	March, 2020	March, 2021	March, 2022	March, 2023	March, 2024
No. of Branches (new Br in Yr.)	8,153 (243)	8,205 (101)	8,315 (187)	8,580 (335)	8,880 (348)
*** 67.66% branches in Rural & Semi Urban.**					

					Amt. in Rs. Crore
Deposits **(% Y-o-Y Growth)**	4,34,010 (10.20%)	4,95,444 (14.15%)	5,47,105 (10.43%)	6,17,975 (12.95%)	6,90,918 (11.80%)
Advances **(% Y-o-Y Growth)**	3,60,214 (7.74%	4,08,932 (13.52%)	4,66,511 (14.08%)	5,47,021 (17.26%)	6,53,698 (19.50%)
CD Ratio	85.21%	84.31%	87.14%	88.52%	94.61%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,28,735 (5.10%) (63.50%)	2,57,136 (12.42%) (62.88%)	3,00,798 (16.98%) (64.48%)	3,32,679 (10.60%) (60.82%)	3,91,151 (17.58%) (59.84%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	1,09,985 (3.02%) (30.53%)	1,21,507 (10.48%) (29.71%)	1,37,100 (12.83%) (29.39%)	1,50,456 (9.74%) (27.50%)	1,69,893 (12.92%) (25.99%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	80,421 (4.16%) (22.33%)	94,954 (18.07%) (23.22%)	1,20,943 (27.37%) (25.93%)	1,40,864 (16.47%) (25.75%)	1,73,620 (23.25%) (26.56%)

Achievement against stipulated benchmark on March - 2024

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **6.09%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 58,472 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 19,437 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **1.33%** की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 21,053 करोड़** की Y-O-Y बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी)
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, कृषि, कमजोर वर्ग अग्रिम और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से प्रतिशत के संदर्भ में गिरावट देखी जा रही है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- राजस्थान में फल उत्पादन का क्षेत्र बढ़ रहा है, जैसे सवाई माधोपुर में अमरूद, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालोर में अनार इत्यादि। किन्तु फल उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण नहीं दिया जा रहा है। फलों के पेड़ के saplings बहुत महंगे आते हैं जो किसानों द्वारा स्वयं की पूंजी से खरीदा जाना मुश्किल है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि फलों के पौधारोपण हेतु किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करें ताकि फल उत्पादन का क्षेत्रफल एवं किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड की टिप्पणी- फलों के उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करने की नीति बैंकों द्वारा पेड़ से होने वाले cash flow के अनुरूप होती है। साथ ही इनके वृक्षारोपण हेतु सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है एवं किसान का मार्जिन लगभग 20% होता है जो बहुत कम है। इतनी कम राशि का ऋण प्रदान करने में बैंक अधिक दिलचस्पी नहीं लेते। नाबार्ड द्वारा फलों के वृक्षारोपण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के संबंध में बैंक स्टाफ के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि फलों के उत्पादन के लिए नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बैंकों को जानकारी नहीं है। फलों का वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के संबंध में बैंक स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- यदि नाबार्ड द्वारा इन योजनाओं के तहत लक्ष्य आवंटित किए जाएँ तो फलों के वृक्षारोपण में वृद्धि की जा सकती है।

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts

14	>100%	Baran, Barmer, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Nagaur, Pratapgarh, Sikar, Sri Ganganagar and Tonk
12	71-100%	Alwar, Banswara, Bharatpur, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali and Sawai Madhopur
6	51-70%	Ajmer, Dholpur, Dungarpur, Karauli, Rajsamand and Udaipur
1	<50%	Sirohi

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही एवं ज़िले में कार्यरत सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सिरोही का सीडी अनुपात राज्य स्तर तक पहुंचाने हेतु mission-mode पर कार्य करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही एवं समस्त सदस्य बैंक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- सिरोही ज़िले में ब्रह्मकुमारी और अन्य मंदिरों के ट्रस्ट में bulk deposit बहुत ज़्यादा होने के कारण सीडी अनुपात इतना कम है। इसका अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं प्रमुख बैंकों द्वारा ब्लॉक-वार विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि बैंक द्वारा सिरोही ज़िले में iron & steel, engineering tools, oil traders, agro processing units जैसे segments ऋण देने हेतु चिन्हित किए गए हैं। साथ ही ज़िले की DLRC बैठक में सभी बैंकों से सिरोही ज़िले में अग्रिम बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। एसएलबीसी की अगली बैठक से पूर्व सिरोही ज़िले का सीडी अनुपात 50% से अधिक पहुंचाने हेतु कार्यरत हैं।

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- सिरोही के जिन ब्लॉक में मंदिरों के ट्रस्ट होने के कारण बड़ी संख्या में bulk deposit हैं, उनके अतिरिक्त अन्य ब्लॉक के सीडी अनुपात का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- जिन जिलों का सीडी अनुपात 51-70% है, वह भी राज्य के सीडी अनुपात का स्तर बढ़ाने की दिशा में कार्यवाही करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर, धोलपुर, डूंगरपुर, करौली, राजसमंद एवं उदयपुर)

Districts having CD ratio lower than all India level (as on 31st March, 2024)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 12 जिलों यथा कोटा (77.80%), पाली (73.89%), भरतपुर (77.98%), बांसवाड़ा (78.82%), झुंझुनू (76.76%), उदयपुर (63.53%), अजमेर (69.16%), राजसमंद (69.31%), करौली (69.53%), धौलपुर (68.93%), डूंगरपुर (57.53%) एवं सिरोही (48.37%) का सीडी अनुपात, राष्ट्रीय औसत (79.49%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कोटा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर एवं सिरोही)

Comparative Development of Rajasthan from March' 23 to March' 24

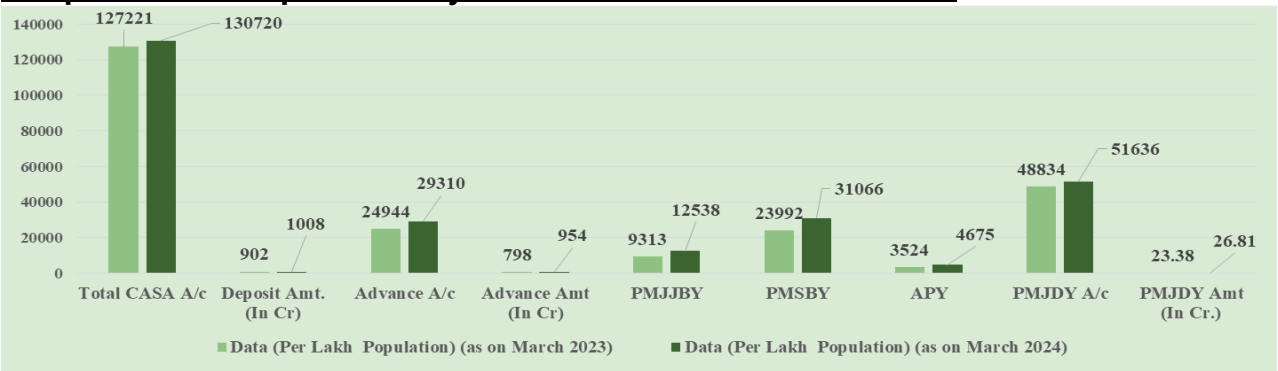

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- प्रदर्शित सभी मापदंडों/ योजनाओं में मार्च 2023 के सापेक्ष वृद्धि हुई है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष उक्त योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY, PMJDY) में संतृप्ति का स्तर उपलब्ध करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Comparative Development of the Districts (Outstanding as on 31st March 2024)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निम्न बिन्दुओं पर सदन के समक्ष प्रस्तुति दी –

1. Branch penetration – No. of Branch per lakh population
2. Deposit penetration – No. of Deposit A/c per lakh population
3. Creidt penetration – No. of Advance A/c per lakh population
4. Insurance penetration – No. of Social Security Scheme per lakh population (PMSBY, PMJJBY & APY)
5. House hold per Branch & BC & Sq. KM area per Bracch & BC
6. Staff wise status – per staff branch, Deposit & Advance A/c
7. Per Capita Deposit Amount & Advance Amount
8. Per capita deposit to per capita income ratio

Various Banking Parameters as on 31st March 2024

Sr. No.	Districts	Branches (Per Lakh Pop.)	Total CASA A/c (Per Lakh Pop.)	Advance A/c (Per Lakh Pop.)	PMJJBY (Per Lakh Pop.)	PMSBY (Per Lakh Pop.)	APY (Per Lakh Pop.)	House Hold / Branch	House Hold / BC	Branch covering Sq. KM Area	BC covering Sq. KM Area	Per Staff Branch	Per Staff Deposit (A/c)	Per Staff Advances (A/c)	Per Capita Deposit (Amt. in Lacs)	Per Capita Advances (Amt. in Lacs)	Per Capita Deposit to Per Capita Income Ratio
		No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	Amt.	Amt.	Amt.
1	Ajmer	16	139774	34540	15993	34160	5274	1204	129	21	2	7	1202	297	1.53	1.06	1.23
2	Alwar	13	131387	30901	11167	32701	4526	1358	134	18	2	7	1451	341	0.91	0.84	0.66
3	Banswara	8	115263	16568	9900	30681	4348	2519	171	31	2	6	2443	351	0.43	0.34	0.60
4	Baran	12	118327	24971	13663	33116	4651	1631	146	47	4	5	1857	392	0.49	0.49	0.43
5	Barmer	8	127356	17587	12454	33069	4056	2171	98	136	6	5	3195	441	0.45	0.92	0.37
6	Bharatpur	8	107585	16823	8053	30999	3526	1997	171	24	2	7	1754	274	0.55	0.43	0.62
7	Bhilwara	12	139083	31449	17982	38330	5901	1706	129	36	3	6	1863	421	0.79	1.17	0.57
8	Bikaner	15	128846	27971	12748	30244	4117	1094	140	86	11	7	1219	265	0.96	0.97	0.84
9	Bundi	13	134074	36808	15333	34925	4828	1555	130	41	3	5	1944	534	0.56	0.61	0.48
10	Chittorgarh	13	134673	33580	15658	35906	4433	1598	146	38	3	6	1601	399	0.79	0.85	0.63
11	Churu	11	122668	24822	11442	28983	3573	1531	158	61	6	6	1717	347	0.56	0.56	0.68
12	Dausa	10	124340	21020	10175	26242	4722	1784	164	21	2	6	2115	357	0.50	0.41	0.59
13	Dholpur	6	95933	9640	7582	27508	4122	2612	123	39	2	6	2619	263	0.35	0.24	0.45
14	Dungarpur	9	130168	19988	11923	30818	4670	2274	184	30	2	5	2901	445	0.53	0.30	0.85
15	Hanumangarh	18	135737	37425	12039	30233	5072	1054	138	30	4	6	1214	335	0.55	0.99	0.43
16	Jaipur	20	168023	59576	11386	23769	5784	876	146	8	1	11	766	272	3.17	3.09	2.25
17	Jaisalmer	13	147291	28441	26466	76215	3250	1395	114	457	37	6	2095	405	0.51	0.71	0.38
18	Jalore	9	117146	25983	10708	24996	3449	1930	241	63	8	5	2705	600	0.39	0.34	0.48
19	Jhalawar	11	129260	28342	11432	30179	4579	1804	113	40	2	5	2164	474	0.44	0.52	0.40
20	Jhunjhunu	13	129375	28795	13221	32683	5505	1377	197	21	3	6	1692	377	0.80	0.62	0.92
21	Jodhpur	13	123481	26810	10894	24874	3761	1316	186	46	7	9	1054	229	1.39	1.18	1.33
22	Karauli	8	104508	13423	8576	24308	3699	2244	227	47	5	5	2419	311	0.39	0.27	0.45
23	Kota	15	136514	37974	12940	33998	5079	1340	185	18	2	9	1001	279	1.65	1.28	1.32
24	Nagaur	10	117942	18860	11206	25082	3450	1832	139	56	4	5	2419	387	0.42	0.44	0.46
25	Pali	14	136182	21156	16597	36318	5876	1432	167	42	5	5	2054	319	0.69	0.51	0.66
26	Pratapgarh	8	113799	19814	11967	29821	5163	2708	120	67	3	4	3658	637	0.33	0.39	0.36
27	Rajsamand	13	126814	17801	16672	37629	5711	1665	163	32	3	5	1971	277	0.69	0.48	0.60
28	Sawai Madhopur	13	119083	24382	10677	26773	4119	1472	154	26	3	6	1518	311	0.60	0.49	0.63
29	Sikar	13	131776	30368	14686	35961	4749	1232	141	21	2	11	918	212	0.71	0.75	0.73
30	Sirohi	14	116508	14306	16196	36845	4236	1431	205	36	5	4	1986	244	0.78	0.38	0.69
31	Sri Ganganagar	18	140643	38385	11763	31508	5779	1076	159	30	5	9	893	244	0.85	1.20	0.61
32	Tonk	14	132844	30830	16466	42342	5605	1334	143	36	4	4	2110	490	0.56	0.63	0.56
33	Udaipur	13	130804	27780	11538	29874	4868	1620	182	30	3	8	1366	290	1.49	0.95	1.45
	Rajasthan	**13**	**130720**	**29310**	**12538**	**31066**	**4675**	**1431**	**150**	**39**	**4**	**7**	**1385**	**311**	**1.01**	**0.95**	**0.87**

- सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक क्रं.सं. 1 से 8 में वर्णित सभी बिन्दुओं पर राज्य के अनुपात से कम जिलों को राज्य अनुपात के समकक्ष लाने हेतु कार्ययोजना (Strategy along with realistic actionable) तैयार कर राज्य में कार्यरत सभी शाखाओं में लागू करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- SBI,BOB, PNB, UCO, ICICI, HDFC को आगामी एसएलबीसी बैठक में 5-10 मिनट की क्रम संख्या 1-8 में वर्णित बिन्दुओं पर कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

- सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक प्रत्येक डीसीसी/ डीएलआरसी / बीएलबीसी की बैठकों में बैंक-वार/ जिला-वार/ ब्लॉक-वार आकड़ें प्रदर्शित कर इस पर चर्चा करें एवं त्रैमासिक प्रगति पर अपने स्तर से निगरानी सुनिश्चित करें व इसकी सम्पूर्ण जानकारी एसएलबीसी से साझा करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबनधक)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- Per capita deposit to per capita income ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों के लीड बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध है कि संसाधनों के deployment हेतु कुशल रणनीति बनाते हुए अग्रणी ज़िले में व्यवसाय का स्तर बढ़ाने का प्रयास करें एवं इसकी निगरानी अपने स्तर से भी करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- जैसलमेर, बारां, बीकानेर एवं धौलपुर जैसे ज़िले जिनमे बैंकिंग कवरेज पहले ही कम है, में प्रति household और प्रति क्षेत्रफल बैंक और BC कवरेज और कम नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक डीसीसी/ डीएलआरसी की बैठक में अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों द्वारा ब्लॉक-वार प्रति household और प्रति क्षेत्रफल बैंक और BC कवरेज प्रदर्शित कर इस पर चर्चा करनी चाहिए एवं ब्लॉक-वार त्रैमासिक प्रगति पर अपने स्तर से निगरानी रखनी चाहिए।
- जयपुर इत्यादि जिलों में लगभग 60% जनसंख्या की क्रेडिट तक पहुँच है, वहीं धौलपुर इत्यादि जिलों में 10% से भी कम जनसंख्या को ऋण उपलब्ध है। धौलपुर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा एवं भरतपुर के अग्रणी जिला बैंकों अपने जिलों में कार्ययोजना बनाते हुए ऋण प्रदान करने हेतु उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करें और 'अग्रिम खाते प्रति लाख जनसंख्या' बढ़ाएँ।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक)

- साथ ही नाबार्ड से अनुरोध है की धौलपुर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा एवं भरतपुर जिलों में पीएलपी प्रॉजेक्शन में पुनः ब्लॉक वार Credit Potential का अध्ययन करे की वास्तविकता में उक्त जिलों में ऋण वितरण की संभावना है अथवा किसी अन्य कारणो से 'अग्रिम खाते प्रति लाख जनसंख्या' की संख्या कम है।

(कार्यवाही: नाबार्ड)

- राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि उक्त जिलों में अधिक संसाधनों के deployment कि आवश्यकता है ताकि सभी वित्तीय संस्थाएं मिलकर जिलों में कार्ययोजना बनाते हुए ऋण प्रदान करने हेतु उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करें और 'अग्रिम खाते प्रति लाख जनसंख्या' बढ़ाएँ।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार**)**

- मार्च 2023 के सापेक्ष प्रतापगढ़ ज़िले में प्रति शाखा households एवं प्रति बीसी households की संख्या बढ़ी है जो चिंतनीय है। संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को इन दोनों मापदंडों में ज़िले के प्रदर्शन एवं इसके कारणों का विश्लेषण कर, सुधारात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, प्रतापगढ़ एवं अन्य समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- Per capita deposit to per capita income ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं जिलों में कार्यरत बैंकों उचित कार्ययोजना बनाते हुए बैंक मित्रों एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षारता को बढ़ावा दें एवं ज़िले में व्यवसाय के स्तर में वृद्धि करने में अपना आवश्यक योगदान दें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी-

- 'बीमा प्रति लाख जनसंख्या' के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं जिलों में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के साथ सभी बैंकों से से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों का PMJJBY एवं PMSBY योजना के तहत नामांकन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, करौली, धौलपुर, जयपुर, जालोर एवं जोधपुर)

- कई बैंक शाखाओं में अपर्याप्त स्टाफ है। अतः सभी बैंकों से अनुरोध है कि बैंकों को 'प्रति स्टाफ जमा' और 'प्रति स्टाफ अग्रिम' बढ़ाने हेतु स्टाफ का उचित deployment करने की रणनीति बनाएँ ताकि समावेशी विकास प्राप्त किया जा सके। ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Blocks having lowest CD ratio, per capita credit and per capita deposit (as on 31st March 2024)

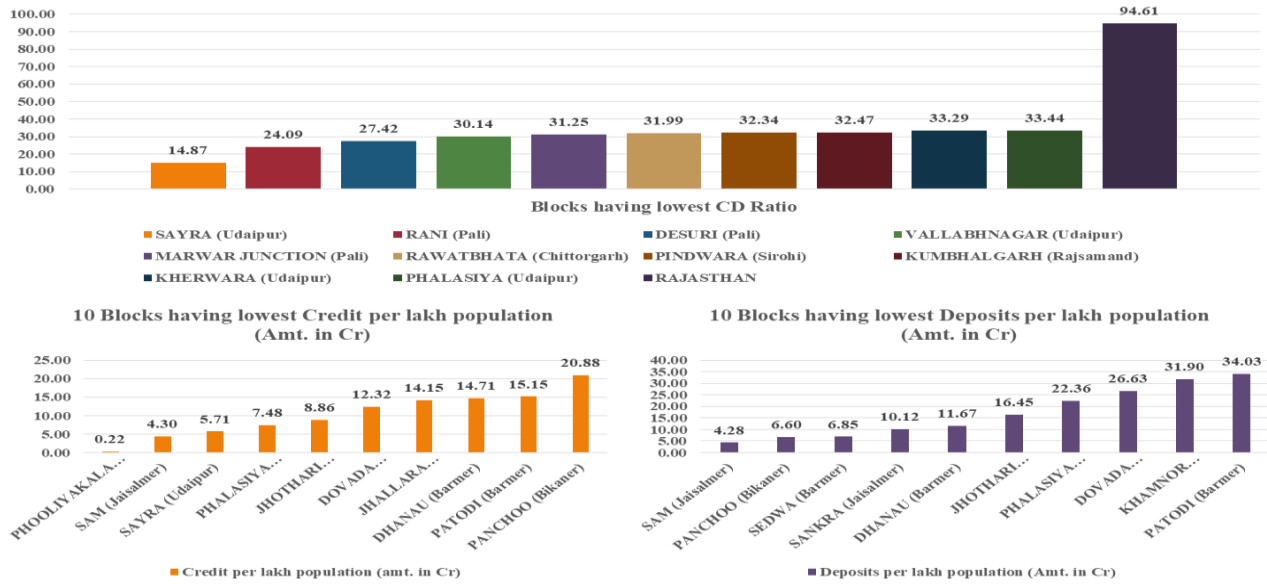

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने CD ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से क्रेडिट पेनेट्रेशन बढ़ाते हुए CD ratio सुधारने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं राजसमंद)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- उक्त ब्लॉक में क्रेडिट संभावनाएं बढ़ाने हेतु मूलभूत अवसंरचना को सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही उक्त ब्लॉकों की BLBC बैठकों में भी CD Ratio, प्रति व्यक्ति अग्रिम एवं प्रति व्यक्ति जमा बढ़ाने पर चर्चा (कारणों एवं उपायों समेत) करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा एवं राजसमंद)

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी-

- उक्त डाटा को base-level डाटा मानकर CD ratio, प्रति व्यक्ति अग्रिम एवं प्रति व्यक्ति जमा के तहत तिमाही-दर-तिमाही प्रगति का विश्लेषण एसएलबीसी एवं प्रत्येक जिलों की DCC बैठकों में करें। साथ ही राज्य में Deposit to GDP ratio को सुधारने सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को कार्ययोजना के साथ मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं समस्त सदस्य बैंक)

- उक्त ब्लॉक में bankable गतिविधियों एवं क्रेडिट संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराए।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी- उक्त खंडों में bankable गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

Annual Credit Plan F.Y. 2023-24

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 2,79,855 करोड़** के सापेक्ष 31 मार्च, 2024 तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 94.52%
- MSME- 151.86%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 40.29%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 110.08%

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आगामी बैठकों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत विभिन्न प्रकार के ऋणों का विभाजन कर प्रगति प्रदर्शित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

Banks having performance below 80% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 23-24 (upto 31st March, 2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक **80% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (13.61%), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (69.80%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (54.77%), भारतीय स्टेट बैंक (66.64%), आईडीबीआई बैंक (71.68%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (77.19%), इंडियन बैंक (63.79%) एवं यस बैंक (76.56%) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) के तहत 80% से कम उपलब्धि करने वाले बैंकों से अनुरोध किया कि वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के कारण एवं इस वित्तीय वर्ष लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बनाई गयी कार्ययोजना एसएलबीसी को भिजवाएँ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक एवं यस बैंक)

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति सुधारने और लक्ष्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया।

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- भारतीय स्टेट बैंक राज्य का सबसे बड़ा बैंक है इसलिए इसके द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का प्रभाव समग्र राज्य की प्रगति पर पड़ता है। बैंक से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष, वार्षिक साख योजना के तहत बैंक की ज़िले-वार प्रगति का विश्लेषण करें एवं उचित रणनीति बनाते हुए लक्ष्य प्राप्त करें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा बैठक में राज्य प्रमुख द्वारा सहभागिता नहीं की गयी एवं बैंक के प्रतिनिधि बिना तैयारी के बैठक में उपस्थित हुए जिस पर संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार एवं उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(कार्यवाही: पंजाब एंड सिंध बैंक)

Annual Credit Plan 2024-25:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के एसीपी लक्ष्य **रु 2,79,855 करोड़** रहे जिसके सापेक्ष ACP उपलब्धि **रु 3,08,071 करोड़** रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में नाबार्ड द्वारा **रु 3,62,153 करोड़** का पीएलपी प्रॉजेक्शन प्रेषित किया गया है। इसके आधार पर वित्तीय साख योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु डीसीसी द्वारा **रु 3,60,153 करोड़** का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धि से **16.93%** एवं लक्ष्य से **29.41%** अधिक है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक साख योजना के क्षेत्रवार, गतिविधि-वार एवं कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने वह अपने बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों से उनके अधीन सभी शाखा प्रबन्धकों को वार्षिक साख योजना के संबंध में जागरूक करने एवं लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु सक्रिय प्रयास करने हेतु अनुरोध करे। इस हेतु क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा मासिक/ त्रैमासिक निरीक्षण बैठकों में शाखाओं के साथ चर्चा की जाए।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक हर वर्ष जून के दौरान एक प्री-पीएलपी बैठक बुलाएं और सभी हितधारक क्रेडिट क्षमता (सेक्टर/गतिविधि-वार) के बारे में अपने विचार प्रकट करें और पिछले एक वर्ष में जिले में प्रमुख वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। पीएलपी में सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं। नाबार्ड के डीडीएम अगले वर्ष के लिए पीएलपी तैयार करने के लिए सूचना की प्रमुख आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए प्री-पीएलपी बैठक में एक प्रस्तुतिकारण दें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं नाबार्ड)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 31.03.2024)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2024 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **35.13%, 7.95%, 8.99% एवं 99.74%** हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत (30.28%) से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.32%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.58%), यूको बैंक (7.95%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.70%), भारतीय स्टेट बैंक (10.27%), केनरा बैंक (11.27%), बीआरकेजीबी (10.39%), पंजाब और सिंध बैंक (11.94%), इंडियन बैंक (12.26%), बैंक ऑफ बड़ौदा (23.28%), पंजाब नेशनल बैंक (14.52%)।

उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु आगामी 162वीं बैठक के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में कृषि निवेश ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना एवं की जा रही कार्यवाही के संबंध में सदन को अवगत कराएं।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक)

प्रतिनिधि, बीआरकेजीबी ने चालू वित्तीय वर्ष में कृषि निवेश ऋण के तहत प्रदर्शन सुधारने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक द्वारा 4,746 अग्रिम खातों में रु 59.65 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है पर NPA पुनर्भुगतान आने के कारण रु 71 करोड़ के 7,494 ऋण खाते बंद हुए हैं जिसके कारण कृषि निवेश ऋण के तहत बैंक का प्रदर्शन कम परिलक्षित हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में कृषि निवेश ऋण के तहत अधिक ऋण वितरण करने का आश्वासन दिया।

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 30.04.2024

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **108 (95+13)** स्थानों में से **33 (30+3)** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 30.04.2024 तक **70 (63+7)** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **05** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

BANK WISE STATUS OF ALLOCATION OF IDENTIFIED LOCATIONS FOR BRICK & MORTAR BRANHCES						
Sr. no.	**District**	**Sub District**	**Village Code**	**Village Name**	**Population**	**Allotment to Banks (05.09.2022 & 18.04.2023)**
1	Barmer	Chohtan	88879	Beejasar	4797	Punjab National Bank
2	Jaisalmer	Pokaran	86330	Madwa	3423	State Bank of India
3	Jodhpur	Bawari	084615	Tapoo	4128	Bank of Maharashtra
4	Jodhpur	Osian	084511	Ompura	4173	IDFC FIRST Bank
5	Jodhpur	Tinwari	084709	Beenj Wariya	4306	IDFC FIRST Bank

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि बीजासर में शाखा खोलने हेतु संबन्धित शिक्षा अधिकारी को पंजाब नेशनल बैंक को NOC प्रदान करने हेतु निर्देश देवें।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने 30 जून 2024 तक माडवा में शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **आईडीएफ़सी बैंक** ने बींजवारिया में 31.05.2024 एवं ओमपुरा में 30.06.2024 तक शाखा खोलने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधि, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ने सूचित किया कि टापू में शाखा तैयार है एवं 15 दिनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य पूर्ण करके शाखा का संचालन प्रारम्भ कर देंगे।

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- उक्त बैंकों से अनुरोध है कि आगामी NZC बैठक से पूर्व 15 जून 2024 तक आवंटित केन्द्रों पर शाखाएँ खोलें।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)**

Uncovered villages within 5KM radius

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने ई-मेल दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से 5 किमी के दायरे तक बैंकिंग आउटलेट से वंचित 28 ग्रामों की सूची दी है, जिनको राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा ई-मेल दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से सदस्य बैंकों को आवंटित कर दिया गया है। इन केन्द्रों पर बैंकिंग आउटलेट खोले जाने की 10.05.2024 तक की स्थिति निम्नानुसार है-

Status of Uncovered Villages within 5 KM radius as on 10.05.2024

Sr. No.	Name of Bank	Total No. of Uncovered Villages	Total Villages Covered	Remaining Uncovered Villages
1	Bank of Baroda	10	6	4
2	Indian Bank	3	0	3
3	Punjab National Bank	6	0	6
4	Rajasthan Marudhara Gramin Bank	7	0	7
5	State Bank of India	2	0	2
	Grand Total	**28**	**6**	**22**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया कि आवंटित केन्द्रों पर जल्द-से-जल्द बैंकिंग आउटलेट खोलें एवं उन्हे JDD App पर अद्यतित करें।

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक)

Major Observations of the BC Survey conducted by RBI

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालयों के एलडीओ के माध्यम से मार्च 2024 तिमाही के दौरान बीसी सर्वेक्षण करवाया गया है।
- राजस्थान राज्य में भी सभी जिलों में LDOs द्वारा 750 से अधिक बीसी प्वाइंटों का निरीक्षण किया गया।
- बीसी सर्वेक्षण के प्रमुख observation इस प्रकार हैं:
  - अधिकांश बीसी आउटलेट फिक्स्ड प्वाइंट आउटलेट हैं और कुछ बीसी मोबाइल/डोर-टू-डोर सेवाएं प्रदान करते हैं।
  - कई बीसी कई बैंकों के लिए काम करते देखे जाते हैं।
  - स्पष्ट signage का अभाव, दी जाने वाली सेवाओं, linked शाखा एवं बैंकिंग ओम्बड्समैन की सूचना का गैर-प्रदर्शन देखा गया है।
  - बीसी की निष्क्रियता और सेवा संबंधी कमियाँ वित्तीय समावेशन में बाधा बन रही हैं।
  - बीसी आउटलेट्स (अर्ध-शहरी/ग्रामीण; पीएसबी/आरआरबी/पीवीएसबी, आदि) का विषम घनत्व चिंता का कारण है।
  - दी गई सेवाओं पर शुल्क लिया जाना। Test लेनदेन में लेन-देन और खाते खोलते समय शुल्क लेने की अनुचित प्रथाओं का संकेत मिला है।
  - ग्राहकों से प्राप्त feedback सेवा की कमियों को इंगित करता है।
  - अधिकांश बीसी आउटलेट वित्तीय सेवाओं के समर्पित और विशिष्ट केंद्र नहीं हैं।
  - कुछ बीसी उन्हें आवंटित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों से काम कर रहे हैं।
  - कई बीसी ने लिंक्ड शाखाओं एवं अपने कॉर्पोरेट बीसी से सहयोग की कमी की सूचना दी है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि संबन्धित BC points पर randomly incognito visit करें एवं सुनिश्चित करें कि वहाँ सभी निशानिर्देश और नियमों की पालना की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की malpractice के पाये जाने पर संबन्धित बीसी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बैंक बीसी सर्वेक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने व भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृति नहीं होने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट (Action Plan) एसएलबीसी के माध्यम से आरबीआई को जून 2024 तिमाही की समाप्ती से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग ने malpractice करने वाले बैंक मित्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का अनुरोध किया। साथ ही malpractice के कुछ प्रकरण राज्य सरकार एवं केन्द्रीय प्रवर्तन एजेन्सीज के संज्ञान मे लाकर सभी के लिए उदाहरण स्थापित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
as on Date	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
07.02.2024	69,15,500	34,72,428 (50%)	96,73,911	76,73,002 (79%)	56,33,175	10,92,192 (19%)

01.05.2024	69,15,500	36,44,562 (53%)	96,73,911	78,07,264 (81%)	56,33,175	11,57,106 (21%)
Progress		**172,134**		**141,379**		**64,914**

सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से सूचित किए गए, संतृप्ति अभियान के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप, जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के तहत **सितंबर 2024** तक **100%** लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna FY 2023-24:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में कुल **6,75,280** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31.03.2024 तक 6,59,495 **(98%)** नामांकन किए गए हैं।

अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-
सार्वजनिक बैंक- 109%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- 107%
स्माल फ़ाइनेंस बैंक- 113%
एचडीएफ़सी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक- 19%
अन्य निजी बैंक- 88%
सहकारी बैंक- 19%

स्माल फ़ाइनेंस बैंकों एवं निजी बैंकों से, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यबाही: समस्त निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, सदन के अनुमोदन से राज्य के सभी जिलों में **बचत** एवं **चालू खातों** का 100% डिजिटलीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में औसतन **95.95%** बचत खातों में डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- राज्य में औसतन **88.61%** चालू खातों में डिजिटलीकरण किया गया है।
- अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं कार्यरत सभी बैंक 31.05.2024 तक अपने ज़िले का 100% डिजिटली करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर)
- अन्य सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं सभी बैंकों से अनुरोध है कि जून 2024 तक राज्य में सभी जिलों को 100% डिजिटल करना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि गैर-digitized बचत और चालू खातों की शाखा वार व खाते वार सूची अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त करें एवं यह सूची अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंक शाखाओं को प्रेषित कर, उन्हे निर्देशित करें कि संबन्धित खाताधारकों से संपर्क करें एवं उनके बैंक खाते में कम से कम 1 डिजिटल उत्पाद प्रदान करना सुनिश्चित करें। इसकी निगरानी अपने स्तर से नियमित रूप से दैनिक आधार पर करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बचत और चालू खातों के डिजिटलीकरण में उच्चतम एवं न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले जिलों की सूचना सदन के समक्ष प्रस्तुत की।

Support required from State Governement

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों का निस्तारण करने एवं की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

प्रतिनिधि, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि-

- भरतपुर एवं जालोर में भूमि आवंटन के संबंध में DO पत्र प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर संबन्धित ज़िला कलक्टरों को अनुस्मारक भेजा है।
- UDH से संबन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबन्धित विभाग को लिखा है।
- धौलपुर और पाली में भूमि आवंटन राशि/ नियमन शुल्क राशि संबंधी file वित्त विभाग को भेजी थी, किन्तु उन्होने बैंक को गैर-सरकारी संस्थान मानते हुए राजस्व नियमों की अनुपालना में शुल्क माफ करने से मना कर दिया है।
- संबन्धित विभाग से अनुरोध है कि भूमि आवंटन शुल्क माफ करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें जिनके आधार पर वित्त विभाग से शुल्क माफ करने हेतु पुनः अनुरोध किया जा सके।

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि संबन्धित ज़िला कलक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भरतपुर एवं जालोर भूमि आवंटन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देवे। साथ ही UDH संबन्धित भूमि आवंटन के प्रकरणों पर संबन्धित विभाग के साथ अनुवर्तन की कार्यवाही करें।

आयुक्त, **कृषि विभाग, राजस्थान सरकार** ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि संबन्धित ज़िला कलक्टरों के साथ व्यक्तिगत बैठक कर भरतपुर एवं जालोर भूमि आवंटन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देवे। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर-सेटी को निशुल्क भूमि आवंटन करने से संबन्धित परिपत्र वित्त विभाग को अग्रेषित कर धौलपुर एवं पाली में शुल्क माफ करावे एवं राजस्व नियमों में आवश्यक संशोधन करें।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, **राजस्व विभाग**, **नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं वित्त विभाग**, **राजस्थान सरकार)**

प्रतिनिधि, **एसआरएलएम**, **राजस्थान सरकार** ने निम्नानुसार सूचित किया-

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर-सेटी को निशुल्क भूमि आवंटन करने हेतु परिपत्र जारी किया हुआ है जो सभी राज्यों में लागू है एवं इसी आधार पर सभी राज्यों में भूमि आवंटन हुए हैं। किसी भी राज्य के एसआरएलएम विभाग द्वारा अलग से परिपत्र जारी नहीं किए गए हैं।
- आर-सेटी के लिए भूमि आवंटन के सबसे अधिक प्रकरण राजस्थान में लंबित हैं जो चिंताजनक है।
- पिछले वर्ष राजस्व विभाग के अधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ इस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया एवं एसआरएलएम द्वारा भी अनुस्मारकार्थ डीओ पत्र भेजे जाते हैं किन्तु विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर-सेटी को निशुल्क भूमि आवंटन करने हेतु जारी परिपत्र के अनुसार कार्यवाही लंबित है।
- राजस्व विभाग से अनुरोध है कि आवंटित भूमि पर शुल्क माफ करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का परिपत्र का संदर्भ देते हुए वित्त विभाग से अनुरोध करें।
- भरतपुर एवं जालोर में वैकल्पिक भूमि आवंटित करने के संबंध में दोनों जिलों के ज़िला कलक्टरों के प्रस्ताव आए हुए हैं एवं राजस्व विभाग द्वारा उन्हे पत्र जारी किया जाना लंबित है जिसके उपरांत संबन्धित जिलों के जिला कलक्टर भूमि आवंटित कर देंगे।
- अलवर में जो भूमि चयनित की गयी थी, वह नगर-योजना में होने का कारण आवंटित नहीं की जा सकी। नयी चिन्हित भूमि का प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित है।
- एसआरएलएम विभाग ने राजस्व विभाग को डीओ पत्र दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से भरतपुर में आर-सेटी स्थापना हेतु चयनित वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने हुत अनुरोध किया है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समित** ने एसआरएलएम विभाग से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लंबित आर-सेटी ट्रेनिंग के क्लेम का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: एसआरएलएम, **राजस्थान सरकार)**

<u>Amendment in PDR Act, 1952</u>

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से, PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

प्रतिनिधि, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि PDR Act में संशोधन करने के लिए भौतिक फ़ाइल वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को 1 महीने से भेजी हुई है।

(**कार्यवाही: वित्त विभाग**, **राजस्थान सरकार)**

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग** ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि PDR Act में संशोधन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ अनुवर्तन की कार्यवाही करें।

RACO RODA & SARFAESI Act

- प्रकरण बकाया दिनांक 31.03.2024 तक
  - ✓ RACO RODA - 1,48,797 Cases Amt. Rs. 3,722 Cr
  - ✓ SARFAESI Act - 1,463 Cases Amt. Rs. 233 Cr.

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि सभी ज़िला कलक्टरों को राको-रोडा एवं सरफेसी के तहत नए cases स्वीकृत करने एवं लंबित cases का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से ग्लो साइन बोर्ड (बैंक की जानकारी) पर शुल्क माफ करने का पुनः अनुरोध किया।

(**कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग**, **राजस्थान सरकार)**

Property cards issued under Svamitva Scheme

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- SVAMITVA योजना बसे हुए ग्रामीण इलाकों में घर रखने वाले गांव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करेगी, बदले में, उन्हें बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साधन के रूप में प्रोपर्टी कार्ड जारी किया जावेगा जो संपार्श्विक के रूप में काम करेगा।
- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है।
- संबन्धित विभाग से अनुरोध है कि पट्टे पर ऋण दिये जाने में उक्त बाधाओं का संज्ञान लेवें एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन करें।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)**,** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**,** राजस्थान सरकार**,** ने पत्र दिनांक **10.05.2024** के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य में स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण करने के उपरांत प्राप्त नक्शों के आधार पर पट्टा निर्माण और वितरण की कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियम- **1996** के अंतर्गत संबन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रही है। इस प्रकार स्वामित्व वाली आबादी भूमि का वैधानिक दस्तावेज़ लाभार्थी को प्राप्त हो रहा है।

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में दिनांक 07.05.2024 तक **3,12,240** के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष **2,07,937** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **1,92,987** आवेदनों में **रु. 230.14 करोड़** वितरित किए गए हैं। **14,950** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से जल्द से जल्द उक्त योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 07.05.2024						Low Performing Banks as on 07.05.2024					
Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.03.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.	Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.03.2024	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.
1	State Bank of India	54332	89345	109.56	164.44	1	IndusInd Bank	6663	0	0.00	0.00
2	Bank of Baroda	28628	43472	49.48	151.85	2	Bandhan Bank	12856	0	0.00	0.00
3	Bank of India	6933	7547	8.96	108.85	3	AU Small Finance Bank	11577	0	0.00	0.00
4	Bank of Maharashtra	2018	2160	2.49	107.06	4	Yes Bank	5721	3	0.30	0.05
5	Indian Overseas Bank	3702	2936	3.46	79.31	5	Axis Bank	10432	10	1.00	0.10
6	Indian Bank	7337	5622	6.63	76.63	6	Kotak Mahindra Bank	3837	7	0.7	0.18
7	Central Bank of India	8683	6388	7.50	73.56	7	ICICI Bank	20798	379	40.04	1.82
8	Union Bank of India	14808	7352	8.75	49.65	8	HDFC Bank	12655	341	35.00	2.69

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

प्रतिनिधि, **स्वयात्त शासन विभाग**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी- निजी बैंकों का PMSVANidhi योजनान्तर्गत प्रदर्शन बहुत असंतोषजनक है (लगभग 1%) जिसके कारण पूरे राजस्थान के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निजी बैंकों से PMSVANidhi योजनान्तर्गत अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

एचडीएफ़सी बैंक से प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं थे जिस पर शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने असंतोष व्यक्त किया एवं आगामी बैठकों में बैंक के उच्चाधिकारी को बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: एचडीएफ़सी बैंक)

प्रतिनिधि, **आईसीआईसीआई बैंक** ने सूचित किया कि बैंक को प्राप्त PMSVANidhi के ऋण आवेदनों में से 22% आवेदनों में ऋण वितरण कर दिया गया है। किन्तु उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होने के कारण अस्वीकृत/ पुनः प्रस्तुत आवेदनों की संख्या अधिक है जिसके कारण बैंक का प्रदर्शन कम रहा है।

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य **1,36,705** के सापेक्ष दिनांक 31.03.2024 तक **1,07,381 खातों (78.55%)** में **रु 2,209.43 करोड़ (86.64%)** का ऋण वितरण किया गया है। सभी बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि पहली डोज़ में न्यूनतम रु 1.5 लाख एवं दूसरी दीज़ में न्यूनतम रु 3.0 लाख वितरित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 31.03.2024					Low Performing Major Banks as on 31.03.2024				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target
1	UCO BANK	780	1695	217.31	1	RSCB	2500	276	0.00
2	INDIAN BANK	1650	3046	184.61	2	UNION BANK OF INDIA	1000	589	58.90
3	HDFC BANK LTD	7970	15470	194.10	3	CENTRAL BANK OF INDIA	1160	761	65.60
4	BANK OF INDIA	2000	2963	148.15	4	INDIAN OVERSEAS BANK	20	15	75.00
5	CANARA BANK	750	1163	155.07	5	IDBI BANK	80	56	70.00

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई बैंक, एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि-

- एनआरएलएम के तहत कुछ बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक है। सभी बैंकों से इस वित्तीय वर्ष प्रदर्शन में सुधार करने का अनुरोध है। इस वित्तीय वर्ष के एसएचजी वित्तपोषण एवं एंटरप्राइज़ फ़ाईनैन्सिंग के लक्ष्य विभाग द्वारा प्रेषित कर दिये गए हैं।
- लखपति दीदी एवं एंटरप्राइज़ फ़ाईनैन्सिंग के लगभग 2,500 आवेदन, बैंकों के पास 3-4 महीने से लंबित हैं जो अस्वीकार्य है। कुछ बैंक बहुत समय तक आवेदन लंबित रखने के पश्चात अस्वीकृत कर देते हैं।
- राजीविका की लगभग 9,000 IIBF certified एसएचजी महिलाओं में से मात्र 5,000 बैंक सखी के रूप में तैनात हैं। 5 बैंकों ने इस संबंध में राजीविका के साथ MoU किया है पर बैंक सखियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिसके कारण वह फिनो पेमेंट्स बैंक इत्यादि बैंकों के साथ कार्य करने लगीं है। 5,000 बैंक सखियों में से 885 ही सक्रिय हैं। बैंक सखी का कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए उनके द्वारा महीने में कम से कम 250 लेन-देन किए जाने चाहिए। अतः वाणिज्यिक बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक बैंक सखियों को नियुक्त करें एवं अधिक से अधिक लेन-देन उनके द्वारा करने हेतु प्रोत्साहित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि IIBF certified एसएचजी महिलाओं का ज़िला-वार डाटा विभाग से लेकर संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को भेजें एवं उन्हे यह डाटा स्थानीय स्तर पर बैंकों को प्रदान करने हेतु निर्देशित करें ताकि बैंक शाखाएँ बीसी तैनात करते समय इन महिलाओं का भी संगयान ले सके।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सदन को सूचित किया कि 4,923 IIBF certified एसएचजी महिलाओं की सूची सभी बैंकों को अग्रेषित कर दी गयी है।

Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2023-24

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of appl. Spon.	No. of appl. Sanc.	No. of appl. Disb.	No. of appl. Pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (as on 31.03.24)	114.55 Cr (MM)	8717 No. 554.60 (MM)	3785 No. 303.77 Cr (MM)	1652 No. 121.36 Cr (MM)	2532 No. 164.44 Cr (MM)	265.17
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 31.03.24)	3540.47 Cr	1295.62 Cr	632.89 Cr	394.33 Cr	294.85 Cr	17.88
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 31.03.24)	2946	619	223	176	212	7.57
4	National Urban Livelihood Mission (NULM) – Individuals & Group (as on 31.03.24)	2500	4721	3151	3070	1660	126.04
5	National Urban Livelihood Mission (NULM) – SHG (as on 31.03.2024)	1500	1651	1009	819	832	67.27
6	Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY) (as on 31.03.24)	10780	19047	9161	7930	7774	84.98
7	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) (as on 31.03.24)	1500	4238	1068	940	2146	71.20
8	Mukhya Mantri Yuwa Udyam Prothsahan Yojana (MYUPY) (as on 31.03.24)	5000	1066	327	319	704	6.54
9	Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna (IMSUPY) (as on 31.03.24)	1500	4991	1194	955	3797	79.60

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया कि-

- सभी बैंक IMSUPY के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण आवेदनों में ऋण अनुदान जारी होने के उपरांत टीडीआर (Term Deposit Receipt) अपलोड करें। साथ ही योजनान्तर्गत जिन ऋण आवेदनों में ऋण वितरण की दिनांक से 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उनका भौतिक निरीक्षण/ सत्यापन कर ऋण अनुदान का समायोजन करें। सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धक अपने स्तर से भी बैंक शाखाओं द्वारा उक्तनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि योजनान्तर्गत पोर्टल पर ऋण अनुदान से संबन्धित दस्तावेज़ का कार्य पूर्ण हो सके।
- राज्य मे IMSUPY के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,500 के लक्ष्यों के सापेक्ष 7,394 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं जिनमे से 1,191 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं एवं 2,927 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 3,862 आवेदन बैंकों के पास निस्तारण हेतु लंबित हैं जिनमे से 1,944 आवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 के हैं।
- IMSUPY की समीक्षा बैठक में विभागीय ज़िला अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बैंकों द्वारा बिना उचित कारणों के लंबे समय बाद अधिकांश आवेदन "Not Viable" की टिप्पणी अंकित कर के अस्वीकृत कर दिये

जाते हैं, जिसके कारण विभागीय लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। अतः सभी बैंकों से यह अनुरोध है कि यह योजना महिला उद्यमियों से संबन्धित होने के कारण अधिक से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत करेंएवं अस्वीकृत ऋण आवेदनों में उचित कारण बताते हुए 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में विभाग एवं आवेदक को सूचित किया जावे ताकि उसी के अनुरूप दस्तावेजों की आवश्यक पूर्ति की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को बताया की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन व डा॰ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जो आवंटन पत्र 31-3-2024 को विभिन्न बैंकों में ऋण स्वीकृति हेतु लंबित रहे उन आवेदन पत्रों पर माह मई 2024 में शीघ्र ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

सभी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के लक्ष्य एसएलबीसी को प्रेषित कर दिए गए हैं॰ा जिन्हें अग्रणी जिला प्रबंधकों के द्वारा बैं॰कवार विभाजित करवाया जाना लंबित है।

प्रतिनिधि, एनयूएलएम, राजस्थान सरकार ने सभी बैंकों से 31 मई 2024 तक NULM के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 31.03.2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bank-wise PMEGP progress as on 30.01.2024													(Amt. Rs. In Cr.)			
Sr. No.	Targets for F.Y. 23-24		Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank				Margin Money Claimed				MM Disbursed			
	No of Prj.	MM Amt	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach		No of Prj.	MM Involve	% Ach		No of Prj.	MM Involve	% Ach	
							Proj.	MM			Proj.	MM			Proj.	MM
A	3855	114.55	8717	554.60	3785	303.77	98.18	265.17	3052	240.31	79.17	209.78	1652	121.36	42.85	105.94

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 31.03.2024								Lowest Performing Banks under as on 31.03.2024							
Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)		MM Claim (Rs. In Crs)		% Ach. Under MM Claim		Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)		MM Claim (Rs. In Crs)		% Ach. Under MM Claim	
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve			No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve
1	BANK OF BARODA	427	13.11	716	70.78	167.68	539.75	1	AU SMALL FIN BANK LTD	43	1.28	0	0.00	0.00	0.00
2	UCO BANK	182	5.13	284	20.89	156.04	407.50	2	AXIS BANK LTD	63	1.76	0	0.00	0.00	0.00
3	IDBI BANK	62	1.76	64	5.41	103.23	306.97	3	HDFC BANK	161	4.68	13	1.82	8.07	38.97
4	CANARA BANK	188	5.74	210	17.28	111.70	301.27	4	BANK OF MAHARASHTRA	63	1.91	9	1.42	14.29	74.19
5	CENTRAL BANK OF INDIA	151	4.85	136	13.47	90.07	277.47	5	ICICI BANK LIMITED	183	5.25	32	4.63	17.49	88.23
Source: PMEGP Portal															

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

अतिरिक्त आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि PMEGP योजनान्तर्गतआवेदनों की संख्या के तहत प्रगति मात्र 42.85% है जो असंतोषजनक है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि उक्त योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदनों हेतु ऋण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PMFME Scheme

दिनांक 31.03.2024 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2023-24 as on 03.02.2024 (Amt. in Cr.)													
S. N.	Bank	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANK	1838	396	102.29	154	30.68	125	17.92	132	36.59	110	35.02	8.38
B	PRIVATE SECTOR BANK	570	123	34.07	40	7.35	28	4.70	13	4.86	70	21.86	7.02

C	RRB BANK	399	73	13.34	17	2.91	12	1.77	30	4.59	26	5.84	4.26
D	CO-OPERATIVE BANK	50	9	0.12	9	0.12	9	0.12	0	0.00	0	0.00	18.00
E	SMALL FINANCE BANK	89	18	6.03	3	0.71	2	0.56	7	1.76	6	3.00	3.37
	GRAND TOTAL	**2946**	**619**	**155.85**	**223**	**41.78**	**176**	**25.08**	**182**	**47.80**	**212**	**65.71**	**7.57**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 31.03.2024 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 31.01.2024													
	Bank	Target F. Y. 2023-24	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned, pending for Disb.		Out of Sanctioned, App. Disb. By Bank		Application Pending with Bank		% age Ach (sanction)
		Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANKS	2054.19	1058	785.00	702	429.55	123	153.81	579	275.73	84	96.02	20.91
B	PVT SECTOR BANKS	686.37	474	441.49	244	169.46	102	78.23	142	91.23	145	163.59	24.69
C	REGIONAL RURAL BANK	545.47	51	37.93	37	23.68	5	4.32	32	19.36	14	14.25	4.34
D	CO-OP SECTOR BANKS	182.02	5	3.28	1	0.20	1	0.20	0	0.00	4	3.08	0.11
E	SMALL FINANCE BANK	72.42	18	27.11	9	9.61	1	2.00	8	7.61	9	17.50	13.28
	RAJASTHAN TOTAL	**3540.47**	**1611**	**1295.62**	**997**	**632.89**	**232**	**238.56**	**765**	**394.33**	**257**	**294.85**	**17.88**

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31.03.2024 तक **रु 19,359.45 करोड़** के लक्ष्य के सापेक्ष **16,57,011** खातों में **रु 18,516.98 करोड़ (95.65%)** का ऋण वितरण किया गया।

उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	9,32,433 (56%)	3,314.21
2	Kishore	6,51,921 (39%)	8,858.32
3	Tarun	72,657 (5%)	6,344.45
	Total	**16,57,011 (100%)**	**18,516.98**

सभी बैंकों से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI)

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 30.04.2024 तक राज्य में **11,491** आवेदनों में राशि **रु. 2,559.71 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए एवं **6,293** खातों में **रु 1,196.48 करोड़** का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31.03.2024 तक **रु. 560.73 करोड़** के **2,407** आवेदन स्वीकृत किए गए एवं **693** खातों में **रु 147.68 करोड़** का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि 2 खाते प्रति शाखा खुलवाना सुनिश्चित करते हुए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अपना प्रदर्शन सुधारें।

प्रतिनिधि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गौपालन, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि विभाग द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए केसीसी पशुपालन के आवेदनों के सापेक्ष बैंकों द्वारा रिपोर्टेड आवेदनों की संख्या बहुत कम है। बैंकों से अनुरोध है कि केसीसी पशुपालन के आवेदनों का डाटा की जांच करें। साथ ही लंबित आवेदनों का निस्तारण करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गौपालन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि केसीसी (पशुपालन) के आवेदन जन-समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही: पशुपालन, मत्स्यपालन एवं गौपालन विभाग, राजस्थान सरकार)

Sector wise NPA Position as on 31st March, 2024

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल- 3.43%

कृषि- 7.67%

एमएसएमई- 2.74%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 1.89%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.78%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 69.69%

कुल एमएसएमई- 25.48%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.83%

Comparison chart of NPA (%)

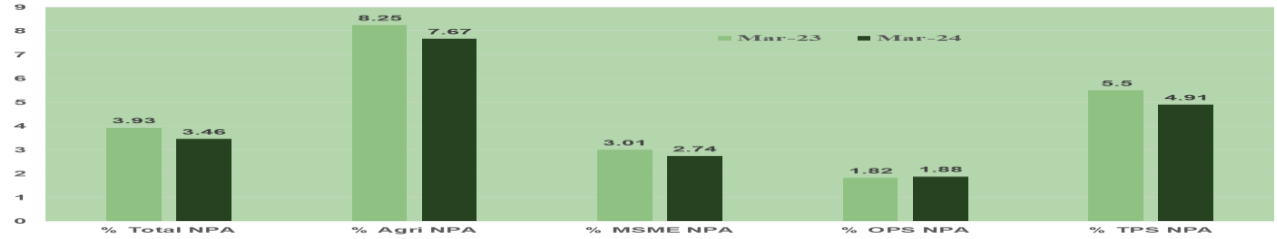

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में मार्च, 2024 तिमाही तक राज्य में **16,520** छात्रों को राशि **रू 744.60 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.03.2024 तक **46,178** खातों में **रु 2,871.99** करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.03.2024 तक **9,922** खातों में **रु 389.24 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है।

इसके पश्चात LDM Rating Matrix के तहत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले निम्न 3 अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को पुरस्कृत किया गया-

- **प्रथम स्थान**- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, झुंझुनू (डीसीसी संयोजक बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा)
- **द्वितीय स्थान**- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, अजमेर (डीसीसी संयोजक बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा)
- **तृतीय स्थान**- अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बारां (डीसीसी संयोजक बैंक: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

***